भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1108

उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024
सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

युवाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1108. **श्रीमती संजना जाटव:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कौशल विकास या कौशल उन्नयन के उद्देश्य से देश भर में युवाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु कोई शोध, अध्ययन या सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर राजस्थान में ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में विशेषकर भरतपुर जिले में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा मांगी गई और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पीएमकेवी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कौशल विकास/कौशल उन्नयन पाठ्यक्रमों के बारे में नागरिकों को जानकारी प्रदान करने हेतु कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है तथा कोई प्रचार-प्रसार गतिविधियां संचालित की हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) युवाओं को कौशल, कौशलोन्नयन अथवा पुनर्कौशलीकरण के उद्देश्यों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु आवश्यक अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु एक मजबूत हितधारक परामर्श और नियामक ढांचा स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (2015) के तहत अधिदेशित, क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) नियमित परामर्श और अध्ययन के माध्यम से कौशल अंतराल की पहचान करने के लिए उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी होती हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) व्यापक कौशल आकलन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय और वैश्विक श्रम बाजार दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अध्ययन कराता है। इन परामर्शों और अध्ययनों के आधार पर उच्च मांग वाली जॉब रोलों के लिए अर्हता मानक और अर्हताएं विकसित की जाती हैं। इन अर्हओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त उद्योगों के साथ परामर्श के माध्यम से मान्यता दी जाती है। इसके बाद मान्य अर्हताओं को राष्ट्रीय अर्हता पंजी (एनक्यूआर) में जोड़ा जाता है और राष्ट्रीय

कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के साथ जोड़ा जाता है। पीएमकेवीवाई के तहत पेश किए जाने वाले सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस राष्ट्रीय अर्हता पंजी (एनक्यूआर) से लिए गए हैं और उद्योग परामर्श और कौशल अंतर सर्वेक्षणों के आधार पर विकसित किए गए हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। उपरोक्त के अलावा, जिला कौशल समितियों (डीएससी) द्वारा जिला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) विकसित की गई हैं, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के साथ पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कौशल अंतराल, उद्योग मांग की मैपिंग आदि का आकलन किया जा सके। इसके अलावा, योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रभाव मूल्यांकन भी किया गया था।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में देश भर में 95.61 लाख अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान नामांकित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के तहत दो घटक अर्थात केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) घटक, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किए गए और केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक, जिसे विभिन्न राज्यों के राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के माध्यम से कार्यान्वित किए गए थें। पीएमकेवीवाई 4.0 एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इसमें राज्य-वार निधि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के दौरान, राजस्थान को सीएसएसएम घटक के तहत ₹26.19 करोड़ जारी किए गए। राज्य द्वारा सभी निधियों का उपयोग किया गया है। पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान भरतपुर जिला सहित राजस्थान में पीएमकेवीवाई के तहत एनएसडीसी द्वारा वितरित निधियों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) हां, एमएसडीई ने टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और डिजिटल प्लेटफार्मों पर व्यापक मल्टीमीडिया अभियानों; स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया के साथ आवधिक मीडिया ब्रीफिंग; सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सक्रिय जुड़ाव; और सामुदायिक जुड़ाव पहल के माध्यम से नागरिकों को पीएमकेवीवाई के तहत उपलब्ध कौशलीकरण, कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण पाठ्यक्रमों के बारे में सूचित करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान और प्रचार गतिविधियां शुरू की हैं। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), दूरदर्शन, माईगव और अन्य सरकारी और निजी समाचार एजेंसियों के माध्यम से नियमित प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गई हैं। सूचना का प्रसार करने और योजना में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के हमारे व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भी जागरूकता पैदा की गई है। एमएसडीई की डिजिटल पहल - 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' (एसआईडीएच) का उपयोग करके, नागरिक पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं और निकटतम केंद्रों का पता लगा सकते हैं जहां यह स्कीम चल रही है।

अनुबंध I

दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत नामांकित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या।

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष-19-20	वित्तीय वर्ष-20-21	वित्तीय वर्ष-21-22	वित्तीय वर्ष-22-23	वित्तीय वर्ष-23-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,688	147	777	370	1,568
2	आंध्र प्रदेश	170,636	7,100	15,241	7,502	63,507
3	अरुणाचल प्रदेश	35,972	31,601	7,930	2,340	14,887
4	असम	336,461	227,325	24,811	8,556	118,694
5	बिहार	240,779	64,881	31,649	13,343	83,919
6	चंडीगढ़	11,722	782	1,057	270	1,087
7	छत्तीसगढ	62,260	4,223	8,432	5,280	18,284
8	दिल्ली	201,768	6,971	15,522	4,363	18,911
9	गोवा	6,526	451	540	-	443
10	गुजरात	203,583	11,549	26,752	8,226	60,420
11	हरियाणा	213,289	5,531	24,140	13,268	75,761
12	हिमाचल प्रदेश	59,519	3,053	10,995	2,982	20,178
13	जम्मू और कश्मीर	171,809	4,280	29,272	11,565	104,239
14	झारखंड	152,044	6,133	13,241	5,013	32,283
15	कर्नाटक	217,053	11,496	28,348	5,042	57,487
16	केरल	106,840	5,193	16,533	4,111	19,217
17	लद्दाख	1,128	118	991	330	946
18	लक्षद्वीप	150	120	-	-	120
19	मध्य प्रदेश	300,336	33,399	48,287	17,796	263,816
20	महाराष्ट्र	760,649	15,222	49,479	17,658	92,957
21	मणिपुर	43,557	23,414	5,489	3,251	15,146
22	मेघालय	18,147	9,974	4,197	265	9,902
23	मिजोरम	12,982	7,170	5,146	1,593	6,398
24	नागालैंड	24,113	6,615	5,591	649	9,346
25	ओडिशा	301,065	12,097	21,006	10,694	44,389
26	पुदुचेरी	8,329	1,354	1,750	758	3,320
27	पंजाब	144,497	11,474	18,645	5,815	105,839
28	**राजस्थान**	**518,614**	**38,835**	**27,373**	**5,330**	**248,798**
29	सिक्किम	5,493	2,395	1,447	2,299	4,333
30	तमिलनाडु	248,630	6,824	34,879	15,884	93,584
31	तेलंगाना	138,763	7,836	16,994	5,411	33,596
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4,224	250	33	388	1,550
33	त्रिपुरा	72,158	24,083	6,002	1,891	18,101
34	उत्तर प्रदेश	821,742	60,836	60,740	33,672	392,900
35	उत्तराखंड	89,510	3,299	11,739	4,012	45,109
36	पश्चिम बंगाल	229,515	9,608	23,156	8,768	51,765
	योग	**5,936,551**	**665,639**	**598,184**	**228,695**	**2,132,800**

दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में।

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान भरतपुर जिले सहित राजस्थान में पीएमकेवीवाई के तहत एनएसडीसी द्वारा वितरित निधि का जिला-वार विवरण।

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	अजमेर	0.54	0.55	0.80	0.18	1.84
2	अलवर	1.93	3.45	2.50	0.57	4.79
3	बांसवाड़ा	0.02	0.58	1.17	0.06	0.99
4	बारां	-	1.06	0.27	0.19	0.81
5	बाड़मेर	-	1.20	2.07	0.35	1.83
6	**भरतपुर**	**0.98**	**2.75**	**2.36**	**0.34**	**4.51**
7	भीलवाड़ा	0.16	2.20	1.77	0.14	0.83
8	बीकानेर	-	1.68	0.58	0.25	1.02
9	बूंदी	0.10	1.41	0.45	0.10	0.55
10	चित्तौड़गढ़	0.02	2.85	1.55	0.15	0.86
11	चुरू	0.17	3.28	0.84	1.26	3.88
12	दौसा	0.17	1.35	0.33	0.05	0.26
13	धौलपुर	0.39	1.11	0.39	0.10	0.73
14	डूंगरपुर	0.00	1.59	1.90	0.07	0.16
15	गंगानगर	0.71	2.98	0.59	0.16	1.46
16	हनुमानगढ़	1.52	0.78	1.42	0.51	3.00
17	जयपुर	1.37	11.21	2.72	1.81	9.91
18	जैसलमेर	-	1.16	0.20	0.00	0.12
19	जालौर	-	0.98	0.88	0.43	0.50
20	झालावाड़	-	1.83	0.53	0.19	1.05
21	झुंझुनूं	2.63	5.03	2.20	1.98	4.42
22	जोधपुर	0.20	1.46	1.24	0.48	1.54
23	करौली	0.34	0.68	0.91	0.15	0.49
24	कोटा	0.11	1.14	0.51	0.30	1.01
25	नागौर	0.39	2.35	3.15	0.43	3.43
26	पाली	-	1.32	2.12	0.83	1.40
27	प्रतापगढ़	-	0.76	0.27	0.09	0.40
28	राजसमंद	-	1.29	0.74	0.02	0.47
29	सवाई माधोपुर	0.05	0.18	0.02	0.00	0.33
30	सीकर	0.74	2.84	1.66	0.52	7.90
31	सिरोही	-	0.94	1.26	0.29	0.91
32	टोंक	0.25	1.14	0.36	0.34	0.79
33	उदयपुर	0.31	4.15	1.84	0.09	1.31

******